राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.3(ख)(1)/आ.प्र.वे./अलेसे–II/ दिनांक :– 03/06/2014

कार्यालय आदेश

श्री रामप्रसाद मीणा, लेखाकार (लिंक नम्बर 9651) को हरीशचन्द्र माथुर, रीपा, उदयपुर में प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त दिनांक 20.09.2013 को कार्यमुक्त कर पूर्व कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांरा में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। श्री मीणा द्वारा (दिनांक 21.09.2013, 22.09.2013 को राजपत्रित अवकाश एवं दिनांक 23 एवं 24.09.2013 को माता जी तबीयत खराब होने के कारण) दिनांक 25.09.2013 को उक्त कार्यालय में उपस्थिति दी गई। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांरा ने अपने पत्र क्रमांक स्था./लेखाकार/2013/5296–5303 दिनांक 27.09.2013 द्वारा पद स्वीकृत नही होने सम्बन्धी टिप्पणी करते हुए मध्यान्ह पश्चात् श्री मीणा को निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर में अग्रिम पदस्थापन हेतु उपस्थिति देने बाबत् निर्देशित किया। इसकी पालना में श्री रामप्रसाद मीणा, लेखाकार ने दिनांक 28 एवं 29.09.2013 के राजकीय अवकाश का उपभोग करते हुए दिनांक 30.09.2013 निदेशालय में 'आदेशो की प्रतीक्षा' में उपस्थिति दी।

अतः श्री रामप्रसाद मीणा, लेखाकार का 02 दिवस (दिनांक 23 एवं 24.09.2013) का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 21.09.2013 से 29.09.2013 तक की अवधि के वेतन का भुगतान निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.3(ख)(1)/आ.प्र.वे./अलेसे–II/4518-21 दिनांक :– 03/06/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/लेखा शाखा) कार्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि लेखाकर्मी का गत भुगतान प्रमाण–पत्र के अनुसार आदेशो की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।
2. ए.सी.पी/उपनिदेशक(आईटी) को आदेश वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. कोषाधिकारी पेंशन, जयपुर को उपार्जित अवकाश का इन्द्राज लेखाकार की सेवापुस्तिका में करने हेतु।
4. श्री रामप्रसाद मीणा, लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी पेंशन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि भविष्य में स्थानान्तरण के प्रकरण में तुरन्त ही नये पदस्थापन विभाग में कार्यग्रहण करे।
5. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)